



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 210312, 213072 फ़ैक्स 424329, 213073

www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. 6289(5) प्रशा./वि.प./बैठक/17

बिलासपुर, दिनांक 11/05/2017

पंजीकृत डाक

प्रति,


1. डॉ. अनिता सिंह  
क्षेत्रीय निदेशक  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
2. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह  
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
3. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति  
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
4. डॉ. (श्रीमती) प्रीतिरानी मिश्रा  
सहायक प्राध्यापक (ग्रंथालय विज्ञान)  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
- ✓ 5. डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स  
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
6. प्रो तीर्थेश्वर सिंह  
आचार्य एवं अध्यक्ष,  
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन  
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,  
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)
7. प्रो. एस. के. जाधव  
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी विभाग)  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय  
रायपुर (छ.ग.)
8. डॉ. बी. डी. मिश्रा  
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष  
प्रबंध अध्ययन विभाग  
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

9. श्री शंशांक शर्मा  
संचालक  
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर,  
रायपुर (छ.ग.)
10. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी  
आचार्य  
स्कूल ऑफ एजुकेशन  
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
11. आयुक्त  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
इंद्रावती भवन, खंड सी  
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रेषण।  
महोदय/महोदया,


पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक दिनांक 09/05/2017 के कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
कुलसचिव

पृ. क्रं. /प्रशा./वि.प./बैठक/17 बिलासपुर, दिनांक /05/2017  
प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
3. समस्त विभागाध्यक्ष ----- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. नस्ती हेतु।

  
कुलसचिव

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही विवरण


विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक  
दिनांक 09/05/2017  
समय : 01:00 बजे दोपहर  
स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

## विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 32 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 09/05/2017 को दोपहर 01:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह – अध्यक्ष  
कुलपति  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़  
बिलासपुर
2. डॉ. अनिता सिंह – सदस्य  
क्षेत्रीय निदेशक  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
3. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह – सदस्य  
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक)
4. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति – सदस्य  
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
5. डॉ. प्रकृति जेम्स – सदस्य  
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
6. प्रो तीर्थेश्वर सिंह – सदस्य  
आचार्य एवं अध्यक्ष,  
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन  
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,  
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)





7. डॉ. राज कुमार सचदेव  
कुलसचिव  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सचिव

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. आयुक्त  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नया रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
2. प्रो. एस. के. जाधव  
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,  
रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
3. श्री शंशाक शर्मा  
संचालक  
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी  
रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी  
आचार्य  
स्कूल ऑफ एजुकेशन  
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,  
नई दिल्ली  
(माननीय कुलपति जी इग्नू द्वारा नामांकित) - सदस्य
5. डॉ. बी. डी. मिश्रा  
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष  
प्रबंध अध्ययन विभाग  
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.) - सदस्य
6. डॉ. प्रीति रानी मिश्रा  
सहायक प्राध्यापक  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी के द्वारा नवनियुक्त सदस्य डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, डॉ. प्रकृति जेम्स एवं डॉ. प्रीति रानी मिश्रा सहित सभी सदस्यों का

RMS

18/1/22



स्वागत किया गया। कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये -

प्रस्ताव क्रं 1 विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 22 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय - विश्वविद्यालय विद्या परिषद् द्वारा कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 अध्यादेश क्रमांक 37 Post Graduate Diploma in Guidance and Counselling में सुधार पर विचार।

निर्णय - विद्या परिषद् के द्वारा अध्यादेश क्रमांक 37 में सुधार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 3 छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 42 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - चर्चा उपरांत शीर्षक में पाठ्यक्रम शब्द तथा कंडिका 1 में पाठ्यक्रम शब्द विलोपित किया गया। कंडिका 8 में "आयोजित किये जा सकेंगे" के स्थान पर " आयोजित की जा सकेगी" किया गया।

इस पाठ्यक्रम के लिये रु. 3500/- वार्षिक शुल्क प्रस्तावित किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 4 श्रेणी/ग्रेड सुधार संबन्धी प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 43 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - चर्चा उपरांत कंडिका 3 को अध्यादेश का भाग न करने का निर्णय लिया गया बल्कि शुल्क के रूप में कार्य परिषद् में रखने का प्रस्ताव माना जाय। अध्यादेश में कंडिका 1 व 2 ही रखा जाये।

प्रस्ताव क्रं. 5 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 44 PG Diploma in Constitutional & Administrative Law (PGDCAL) के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - शीर्षक में कंडिका 1 में PG Diploma in Constitutional & Administrative Law किया जाये। कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम के समकक्ष हो।





प्रस्ताव क्रं. 6 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 45 PG Diploma in Labour law & Labour Welfare के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 7 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 46 PG Diploma in Entrepreneurship Development के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 8 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 47 PG Diploma in Industrial Relations & Personnel Management के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।


यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 9 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 48 PG Diploma in Administrative Law के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 10 सहायक प्राध्यापक के शैक्षणिक पद पर नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति में माननीय कुलाधिपति के मनोनयन हेतु विषयवार (अंग्रेजी, वाणिज्य एवं शिक्षा) तीन-तीन विषय-विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने पर विचार।



**निर्णय –** यह निर्णय लिया गया कि अकादमिक परिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 10/11/2015 में विषयवार जिस सूची का अनुमोदन किया गया है उसे ही दिनांक 10/11/2018 (तीन वर्ष) तक के लिये अनुमोदित करते हुये माननीय कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये। इन विषयों हेतु यदि नया पैनल बनाना हो, या अन्य विषयों हेतु पैनल बनाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया। वे आवश्यकतानुसार विषयों का पैनल बनाकर कुलाधिपति महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित करेंगे।

**प्रस्ताव क्रं. 11** स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम बी.ए. में वैकल्पिक विषय मनोविज्ञान, प्रबंधन एवं योग विज्ञान प्रारंभ करने पर विचार।

**निर्णय –** प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

**प्रस्ताव क्रं. 12** विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडलों के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

**निर्णय –** प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

**प्रस्ताव क्रं. 13** अध्यादेश क्रमांक 41 में संशोधन पर विचार।

**निर्णय –** प्रस्तावित संशोधन मान्य किया गया।

**प्रस्ताव क्रं. 14** OER Policy for PSSOU के अनुमोदन पर विचार।


**निर्णय –** प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।


**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –**

**प्रस्ताव क्रं. 15** विश्वविद्यालय के अकादमिक वर्ष 2017-2018 के अकादमिक कैलेंडर के अनुमोदन पर विचार।

**निर्णय –** प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

  
(राज कुमार सचदेव)  
कुलसचिव/सचिव

  
(बंश गोपाल सिंह)  
कुलपति/अध्यक्ष